(ग) क्या सरकार वसूली के संबंध में कोई नयी नीति बनाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, मार्च, 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार, सभी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित बकाया अग्रिमों और अतिदेयों की कुल राशि क्रमश: 125955 करोड़ रु० और 22989 करोड़ रु० थी । चूंकि बैंक ऋणदाता संस्थाएं हैं, इसलिए उधार दी गई निधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सभी प्रणालियों और क्रियाओं के बावजूद कतिपय ऋण राशियां अशोध्य हो जाती हैं । अतिदेयों और अशोध्य ऋणों की बारदातों को कम करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों मे अलग अलग राशियों की स्थिति दर्शाने के लिए एक व्यापक और समान ग्रेडिंग प्रणाली शुरु करने के लिए कहा है, ताकि इन आग्रमों की कारगर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकें । उनसे यह भी कहा गया है कि वे सर्वाधिक अशोध्य खातों की वसूली पर नजर रखें । सामायत:, बैंक वसूली के सभी अवसर समाप्त हो जाने के बाद और अपने हितों की सुरक्षा करने तथा परिसीमन कानून की अवधि के अन्दर प्रतिभूति को प्रवर्तित करने के लिए मुकदमें दायर करते हैं ताकि उधारकर्ताओं द्वारा अदा न की गई शेष बकाया राशियों की वसूली की जा सके । बैंक अतिपय अग्रिमों को अशोध्य ऋणों के रूप में केवल तभी बट्टे खाते डालते हैं जब वे इस बात से पूर्णतया संतुष्ट होते हैं कि ये अग्रिम अंततोगत्वा वसूली योग्य नहीं है इस प्रकार, बैंक के हितों की सुरक्षा करने के लिए चूक वाले खातों की सतत निगरानी और समीक्षा की जाती है । हाल ही में, बैंकों को देय ऋणों के शीघ्र न्यायानर्णयन और वसूली के लिए तथा उससे संबंधित या प्रासंगिक मामलों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया है ।

Pension to LIC employees

932. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the amount of pension which is given to Life Insurance Corporation Pensioner;

(b) whether dearness allowance and the benefit of family allowance is also being given and if so, since when and to whom; and

(c) whether peons are also entitled to the benefits?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) At present no pension scheme is available to the employees of the Life Insuarnce Corportation of India (LIC). However on the basis of a Memorandm of Understanding reached between the Employees Associations and the Management of LIC, a draft pension scheme which covers all employees including peons has been formulated and sent to the Government by the LIC. This is under consideration of the Government.

"आयकर अपील प्राधिकरण" के समक्ष लम्बित मामले

933. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "आयकर अपील प्राधिकरण" के समक्ष लम्बित मामलों की संख्या एक लाख से अधिक हो गई है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्राधिकरण को कितने मामले प्राप्त हुए और उसके द्वारा कितने मामले निपटाये गये ; और